# न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- श्री मूलचन्द लूणियां (आर0 ए0 एस0)
मुकदमा नं0 :- 18/2024
दायर दिनांक :- 16.05.2024

**उनवान**

1. कालूराम पुत्र कानाराम महावर } जाति कोली निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा

\- (वादी)

**बनाम**

1. अमरसिंह पुत्र श्रवण
2. काली पत्नी श्रवण
3. चन्दाराम पुत्र श्रवण
4. छोटेलाल पुत्र श्रवण
5. रामहेत पुत्र श्रवण
6. सन्तरा पत्नी प्रभूदयाल
7. राजकुमार पुत्र प्रभूदयाल
8. सुशील पुत्र प्रभूदयाल
9. ताराचन्द पुत्र प्रभूदयाल
10. सीमा पुत्री प्रभूदयाल
11. शकुन्तला पत्नी हजारी
12. भरतलाल पुत्र हजारी
13. रोशनी पुत्री हजारी
14. बाबूलाल पुत्र सुखपाल
15. मोहनलाल पुत्र सुखपाल
16. सीताराम पुत्र सुखपाल
17. ममता पुत्री रामजीलाल
18. महेन्द्र पुत्र रामजीलाल
19. विजेन्द्र पुत्र रामजीलाल
20. दिलीप पुत्र मांग्या
21. वेदप्रकाश पुत्र मांग्या
22. अनिता पुत्री मांग्या

} समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा (राज0)।

23. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील भांडारेज जिला दौसा, राज0।
24. उप पंजीयक भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज जिला दौसा।

\- (प्रतिवादीगण)

प्रकरण संख्याः 18/2024
कालूराम बनाम अमरसिंह वगै.
निर्णय दिनांक : 19.02.2025

# वाद तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता : श्री विजेन्द्र सिंह चेची (अधिवक्ता वादी)

## :: निर्णय ::

वकील मय वादी ने एक वाद दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम भाण्डारेज पटवार हल्का भाण्डारेज भू0अभि0नि0 क्षेत्र भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज में स्थित भूमि आराजी खसरा नं0 2949 रकबा 0.42 है0, ख0न0 2950 रकबा 0.33 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.75 है0, भूमि स्थित है। उक्त आराजियात भूमि के 2/3 हिस्से खातेदार व काबिज काश्तकार वादी है व शेष हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 22 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वाद में वकील वादी ने वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया हैः-

1. डिक्री तकास्मा इस प्रकार प्रदान करें की ग्राम भाण्डारेज पटवार हल्का भाण्डारेज भू0अभि0नि0 क्षेत्र भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज में स्थित भूमि आराजी खसरा नं0 2949 रकबा 0.42 है0, ख0न0 2950 रकबा 0.33 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.75 है0, के वादी के 2/3 हिस्से का व शेष हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 22 का राजस्व रिकार्ड के अनुसार सरस-नरस के आधार पर व कब्जे व रास्ते को ध्यान में रखते हुए कब्जे के आधार पर तकास्मा फरमाकर वादी का खाता तथा लगान अलग कायम करने की कृपा करें।

2. प्रतिवादीगण सख्या 1 लगा0 22 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की कृपा करे कि ग्राम भाण्डारेज पटवार हल्का भाण्डारेज भू0अभि0नि0 क्षेत्र भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज में स्थित भूमि आराजी खसरा नं0 2949 रकबा 0.42 है0, ख0न0 2950 रकबा 0.33 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.75 है0 के वादी के 2/3 हिस्से के कब्जे काश्त में प्रतिवादी नम्बर 1 लगा0 22 अपने एजेन्टों, नौकरो, रिश्तेदारो से कोई दखलन्दाजी न स्वयं करें न करावे तथा उक्त भूमि का विधिवत तकास्मा हुए बिना किसी दीगर को विक्रय नही करें।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी नम्बर 1 लगा0 22 तथा प्रतिवादी सं0 23 राजस्थान सरकार एवं प्रतिवादी सं0 24 उपपंजीयक भाण्डारेज को रजिस्टर ए.डी. के द्वारा सम्मन भिजवाये गये। बावजूद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 22 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् वादी ने न्यायालय में तकास्मा हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने के लिए निवेदन किया। अतः वादी का वादपत्र प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2025 को जारी की गयी तथा तहसीलदार भांडारेज को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 2949 रकबा 0.42 है0, ख0न0 2950 रकबा 0.33 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 के मध्य जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सरस-नरस के आधार पर मा॰ राजस्व मण्डल राज॰ अजमेर के पत्रांक 10546 दिनांक 05.10.2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तीन प्रतियों में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जावें। तहसीलदार भाण्डारेज ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/248 दिनांक 11.02.2025 द्वारा कुर्रेजात न्यायालय के समक्ष पेश किये।

बहस वादी बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वादी द्वारा कुर्रेजात में दर्शाये गये तकास्मे में अपनी सहमति व्यक्त की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत आराजी का तकास्मा किये जाने एवं प्रश्नगत आराजी के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 अनुसार ग्राम भांडारेज तहसील भांडारेज स्थित प्रश्नगत आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भाण्डारेज तहसील भाण्डारेज में स्थित भूमि आराजी खसरा नं0 2949 रकबा 0.42 है0, ख0न0 2950 रकबा 0.33 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.75 है0 का तकास्मा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 22 के मध्य निम्नानुसार किया जाकर उभय पक्षों को एक-दूसरे के क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है :-

<u>वादी :-</u>

| क्र.सं. | खातेदार का नाम | ख.नं. | रकबा | कि0 जमीन | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कालूराम पुत्र कानाराम महावर हिस्सा-पूर्ण, जाति कोली सा. देह खातेदार **<u>रंग - नीला</u>** | 2950/1 | 0.2150 | बारानी 1 | 2.78 |
| | | 2949/1 | 0.2850 | बारानी 1 | 1.97 |
| | | **किता 02** | **0.5000** | - | **4.75** |

प्रतिवादीगणः-

| क्र.स. | खातेदार का नाम | ख.नं. | रकबा | कि0 जमीन | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. अमरसिंह पुत्र श्रवण हिस्सा- 1/18 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार<br>2. काली पत्नि श्रवण हिस्सा- 1/18 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार<br>3. चन्दाराम पुत्र श्रवण हिस्सा- 1/18 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार<br>4. छोटेलाल पुत्र श्रवण हिस्सा- 1/18 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार<br>5. प्रभूदयाल पुत्र सुखपाल हिस्सा- 1/15 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार<br>6. बाबूलाल पुत्र सुखपाल हिस्सा- 1/15 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार<br>7. भोली पत्नि सुखपाल हिस्सा- 1/15 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार<br>8. ममता पुत्री रामजीलाल हिस्सा- 1/54 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार<br>9. महेन्द्र पुत्र रामजीलाल हिस्सा- 1/54 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार<br>10. मांग्या पुत्र सोन्या हिस्सा- 1/3 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार<br>11. मोहनलाल पुत्र सुखपाल हिस्सा- 1/15 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार<br>12. रामहेत पुत्र श्रवण हिस्सा- 1/18 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार<br>13. विजेन्द्र पुत्र रामजीलाल हिस्सा- 1/54 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार<br>14. सीताराम पुत्र सुखपाल हिस्सा- 1/15 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार<br><br>**रंग- भूरा** | 2950/2<br>2949/2 | 0.1150<br>0.1350 | बारानी 1<br>बारानी 1 | 1.00<br>1.00 |
| | | किता 02 | 0.2500 | | 2.00 |

तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार तकास्मा तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण दर्ज किया जावे। प्रश्नगत आराजी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किसी खातेदार के फौत होने की दशा में उसके विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही पूर्ण की जावे।

निर्णयानुसार पर्चा अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार भाण्डारेज को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा खिलवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(मूलचन्द लूणियां)
सहायक कलक्टर, दौसा
सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा